न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–192 / 2026

GCMS No.- 2026/203

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री राहुल (कर्मचारी) श्री जोधाणा स्वीट्स, जैतारण चौकी, मेड़ता, तहसील मेड़ता व जिला नागौर। मोबाईल नम्बर–8696811191

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय   दिनांक :– 03.06.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 01 गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscation) के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल ने जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2026 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार व श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा श्री जोधाणा स्वीट्स, जैतारण चौकी, मेड़ता पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री राहूल उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का कर्मचारी होना जाहिर किया। मौके पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस का भरा हुआ सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

क्र. सं.	एस.आर. नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	855599-T	IOCL	17.5	15.5	2.0	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही श्री प्रहलादसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी हाल मैसर्स चारभुजा भारत गैस, गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7. के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि यह हमारा घरेलू सिलेण्डर था जो घर ले जाने के लिए यहां पर रखा हुआ था। वक्त निरीक्षण रसद विभाग की टीम ने अभियान का बहाना बनाकर मेरे घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया है। मैं एक गरीब मजदूर ध्याड़ी वाला हूँ इसलिए मेरा यह सिलेण्डर जब्त रहने से मुझे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मेरी घरेलू परिस्थितियों के मध्य नजर मुझे मेरा सिलेण्डर पुनः दिलवाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी का कथन है कि वक्त मौका निरीक्षण व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द मौका, फर्द जब्त मय सुपुर्दगीनामा का अवलोकन करने पर केवल घरेलू गैस सिलेण्डर को ही जब्त किया गया है, अगर गैर सायल द्वारा इस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर काम में लिया जा रहा था तो उक्त भट्टी एवं पाईप एवं इनसे सम्बन्धित अन्य सामग्री को जब्त नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर को अन्य उपयोग के लिए प्रयोग मे लिया जाना नहीं माना जा सकता है, केवल मात्र गैस सिलेण्डर रखे होने से उन्हें जब्त किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, नागौर को ओदश दिया जाता है कि प्रकरण में गैर सायल से जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को पुनः गैर सायल को सुपुर्द किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर